

श्री रणधीर सिंह

बिल हाउस के सामने पेश किया है उसको मुल्क के नजरिए से, कौम के ख्याल से और मुल्क के बचाव के ख्याल से इस मौके पर एक बहुत जरूरी बिल समझता हूँ। बेयरमैन साहब आप खुद वकील हैं और मेरे बाकी दोस्त जो कानून जानते हैं वह इस बात को महसूस करेंगे कि इंडियन पीनल कोड में यह सेक्शन तो था कि कोई किंग के खिलाफ लड़ाई लड़े तो उसको फांसी के तख्ते पर पहुंचा देते थे। कोई लड़ाई लड़े एम्पायर के खिलाफ तो उस पर मुकदमा चलता था। लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद हम समझते यह है कि यह जो क्लॉज उस पीनल कोड में था, आज हिन्दुस्तान की एकता के खिलाफ, हिन्दुस्तान की इंटिग्रिटी के खिलाफ, अपने देश की सावरेनटी के खिलाफ कोई नारे लगाए या काम करे तो उसके पब्लिशमेंट के लिए कोई ऐसा कानून अपने पास नहीं है। मैं अपने भाई जनसंघ वाले श्रीचंद बौयल से और बाकी जो लाइवर फ्रंड बैठे हैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ताजीरात हिन्दू में या डिफेंस आफ इंडिया रूस में या सिब्योरिटी ऐक्ट में जो अब तक रहे हैं या जितने रेगुलेशन ऐक्ट बने हैं या क्रिमिनल अमेंडमेंट ऐक्ट में कहीं भी नजर डाल कर देखें कोई प्राविजन ऐसा कानून में कहीं नहीं मिलेगा जो इस बिल की जगह पूरा करता हो।

17:58 hrs.

[SRI C. K. BHATTACHARYA in the Chair.]

तो मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए और असल बात तो यह है कि हम सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ हैं लेकिन हिन्दुस्तानी नहीं हैं। हर काम को चाहते हैं, हर राइट को चाहते हैं, हम प्रीएम्बल का दम भरते हैं कि प्रीएम्बल में लिखा हुआ है ईक्विटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी यह सब है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उस प्रीएम्बल में सब से पहले कोई लब्ध है तो सावरेन डेमो-क्रेटिक का लब्ध है और उसको हम ने कांस्टी-ट्यूट किया है। उस बदकिस्मत वेस में जहाँ

सैकड़ों जाति बिरादरियां हैं, जहाँ दर्जनों मजहब हैं, जहाँ जाति बिरादरी के मामले पर, जहाँ जवान के मामले पर, छोटी छोटी बातों पर, मजहब की बात पर, जौन की बात पर प्राप्त की बात पर लोग अपने वतन से भी गद्दारी की बात सोचते हैं, मैं बड़ा आदर करता हूँ अपने डी०एम०के० के भाइयों का, उनका बड़ा कांटीब्यूशन है देश में, भाई राजाराम बड़े होशियार मेम्बर हैं हमारे यहाँ, लेकिन परसों वह कह रहे थे कि तुम अपने आदमियों को साउथ से ले जाओ, हम अपने आदमियों को नार्थ से बुला लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर यह बात आती क्यों है मन में? एक पढ़े लिखे एम० पी० के दिमाग में जो लीडर हैं जनता के उनके दिमाग में यह बात आ सकती है तो वह लोग जो हैडक्वार्टर्स में काम करते हैं, जो ऐसे नाजुक रीजंस में काम करते हैं, काश्मीर जैसी जगहों में जहाँ मजहब का नारा शानदार अफीम का काम दे सकता है और जहर का काम दे सकता है, जो मिजोलैंड में रहते हैं नागा लैंड में रहते हैं और नागा लैंड में ऐसे ऐसे नारे चलते हैं और जहाँ एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों औ हज़ारों की तादाद में इन्फिल-ट्रैटर्स आते हैं.....

समापति महोदय : अब हाफ ऐन अवर शुरू होता है.....

श्री रणधीर सिंह : अच्छी बात है। आप मुझे कल मौका दें।

18 hrs:

***SUPPLY OF RIVER WATERS TO
WEST PAKISTAN**

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय सदन के सामने एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में विचार रखना चाहता हूँ। पिछले दिनों जब मंगला डैम मुकम्मिल हुआ और उस के बारे में इस सदन में बहुत सी चर्चा भी हुई, परन्तु जिस बात को नजरअन्दाज कर दिया गया वह यह कि इस

*Half-An-Hour Discussion.

मंगला डैम के बनने के बाद हिन्दुस्तान पाकिस्तान से कोई पानी की भीख नहीं मांगता, हम अपना अधिकार मांगते हैं, यह जो सिन्धु घाटी का पानी है इसकी समस्या क्या है? व्यौरा क्या है? सन् 1947 में जब भारत का बटवारा हुआ सिन्धु घाटी का क्षेत्र पंजाब का और सिन्धु का सिंचाई की दृष्टि से सब से विकसित भाग था। इसमें दो करोड़ 60 लाख एकड़ में सिंचाई होती थी। पंजाब की इन तीन नदियों से जो पाकिस्तान में हैं बीसों नहरों निकाली गई थीं और वह पंजाब की जनता ने उन नहरों को बनाया था। उन के रुपये उस में लगे थे और जो पंजाब का उस समय का नेशनल डेट था उसका अधिक रुपया इन नहरों के बनाने में लगा था।

जब बटवारा हुआ, पंजाब के क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत के लगभग भाग भारत में आया, लेकिन वहां का जो सिंचित क्षेत्र था, जिसमें सिंचाई होती थी, वह हमें केवल 20 प्रतिशत भी नहीं मिली। 2 करोड़ 60 लाख एबड़ भूमि में से भारत के हिस्से केवल 50 लाख एकड़ सिंचित इलाका आया, बाकी का 2 करोड़ 10 लाख एबड़ इलाका पाकिस्तान में रह गया। वहां के जो 6 दरिया हैं, उन में से हमारी तरफ केवल तीन पड़े—सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब, जेहलम, सिंध उधर रह गये। इन दरियाओं के पानी की स्थिति इस प्रकार है कि जो पूर्वी दरिया हमें मिले उनमें 20 प्रतिशत पानी है और जो दरिया पाकिस्तान में गये, उन में 80 प्रतिशत पानी है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि जो तीन नदियां हमारे पास रह गई थीं, उनका सारा पानी हम अपने क्षेत्र की सिंचाई के लिये रखते। यदि पाकिस्तान हमारे साथ भाईचारे से रहता तो हम जो पानी इन नदियों से पाकिस्तान को जा रहा था, उसे कुछ समय के लिये देते, लेकिन पाकिस्तान ने तो पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि वह भारत के साथ भाईचारे से रहना नहीं चाहता। अगर वह रहना चाहता, तो काश्मीर पर हमला नहीं करता। उस ने काश्मीर पर हमला किया, हमारे 35

हजार वर्ग मील इलाके को दबा कर बैठ गया। जब पाकिस्तान का किरदार यह था तो यह आवश्यक था कि हम पाकिस्तान के साथ इस मामले में कोई बातचीत न करते और जो तीन नदियां हमारे पास थीं जिन पर हमारा अधिकार था, उन को हम अपने लिये इस्तेमाल करते। लेकिन हमारी जो तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण प्रायः आज बहुत सी समस्याएँ पैदा हुई हैं, उसी की वजह से हम यह मामला वर्ल्ड बैंक में ले गये। जैसे काश्मीर के मामले को हम ने पू०एन०ओ० में ले जाकर खराब किया, उसी तरह से इन नदियों के मामले को, हम विश्व बैंक के सामने ले गये और फिर उस ने यह फैसला किया कि पांच साल तक हम पाकिस्तान को पानी दें और पाकिस्तान को रिप्लेसमेंट नहर बनाने के लिये 50 करोड़ रुपया दें। यह ज्यादाती थी क्योंकि पाकिस्तान की जो नहर बनी थी वह हमारे ही पैसे से बनी थी। पंजाब का जो डेट था, उस में पाकिस्तान का हिस्सा 3000 करोड़ रुपये था, लेकिन पाकिस्तान ने एक घेला नहीं दिया। ऐसी स्थिति में वर्ल्ड बैंक के एवार्ड को मानने का कोई कारण नहीं था। लेकिन हम ने मान लिया, पाकिस्तान ने फिर भी नहीं माना। मामला लम्बा होने लगा। पं० नेहरू को दया आई, क्योंकि पाकिस्तान उन का नाजायज बेटा था, भागते हुये अयूब के पास गये, 1960 में एक सन्धि की। उस वक्त के समाचार पत्रों को देखिये . . .

श्री प्रेम चन्द बर्मा : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

MR. CHAIRMAN : There is no quorum. Shri Balraj Madhok may resume his seat.

The bell is being rung—

Still, there is no quorum. So, the House will now stand adjourned till 11 a.m. tomorrow.

18-06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 19, 1967/Agrahayana 28, 1889 (Saka).